राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4297/2021

उस्मान खान

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अलवर, राजस्थान।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लक्ष्मणगढ, अलवर, राजस्थान।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगल खानजादी, अलवर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : डॉ. देवेन्द्र कुमारे, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री प्रभुदयाल मान, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2021 से दिनांक 13.07.2021 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। प्रधानाचार्य द्वारा अपीलार्थी को उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं करने दिया गया था और इस आधार पर वेतन नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बहरावलाबास में कार्यरत है। पूर्व में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगल खानजारी (लक्ष्मणगढ) अलवर में कार्यरत था। इस कार्यालय में प्रार्थी के कार्यालय में व्यवहार सराहनीय नहीं रहा है, क्योंकि पूर्व में भी प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों द्वारा उच्च अधिकारियों को अभर्द व्यवहार के बारे में शिकायत की गयी है।
3. प्रत्यर्थी विभाग का यह जवाब रहा है कि प्रार्थी को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर अपील संख्या–1173/2021 उस्मान खान बनाम

सरकार आदेश दिनांक 05.07.2021 की अनुपालना में दिनांक 14.07.2021 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगन खानजादी (लक्ष्मणगढ) अलवर में उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को माननीय अधिकरण की पालना में प्राधानाचार्य नांगन खानजादी (लक्ष्मणगढ) अलवर में दिनांक 14.07.2021 को कार्य ग्रहण करवाया। अपीलार्थी को सीबीईओ लक्ष्मणगढ के लिये प्रधानाचार्य नांगन खानजादी (लक्ष्मणगढ) अलवर द्वारा दिनांक 23.03.2021 को मध्यान पूर्व कार्यमुक्त किया गया था। अपीलार्थी द्वारा उसी दिनांक (23.03.2021) को ही स्वेच्छा से त्याग पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगन खानजादी (लक्ष्मणगढ) अलवर को प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी ने दिनांक 23.03.2021 से 13.07.2021 तक किसी भी शाला/कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी। उक्त अवधि का वेतन आहरित करने हेतु प्रधानाचार्य नांगन खानजादी (लक्ष्मणगढ) अलवर द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 25.08.2021 रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया, जिसमें अपीलार्थी को उक्त अवधि की पी.एल/एच.पी.एल. अवकाश आवेदन करने हेतु कहा गया, लेकिन अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक भी कोई अवकाश आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. हमनें उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
5. अपीलार्थी को दिनांक 23.03.2021 से दिनांक 13.07.2021 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष उपस्थित होता रहा परन्तु अपीलार्थी को उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं करने दिये गये। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि अपीलार्थी अनुपस्थित रहा हैं।
6. उपरोक्त परिस्थिति में हम यह आदेश देना उचित पाते हैं कि उक्त अवधि के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग जांच करें एवं उसके उपरान्त नियमानुसार आख्यात्मक आदेश पारित करें। अपीलार्थी अगर उक्त अवधि के दौरान अनुपस्थित होना मानता है और अवकाश के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जावे। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)